

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

जी०आर०डी० एकेडमी

नरोत्तमगढ़ पो० बिहारीगढ़ सहारनपुर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 10242-44

/ 2021-22 दिनांक 06/12/21

विषय:-मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/24953-55/2020-21 दिनांक 17.02.2021 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन आपकी संस्था को कक्षा 06 से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता आगामी एक वर्ष के लिए प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अग्रतः आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात से उक्त विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तों के उलंघन करने सम्बन्धी शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11.01.2019 के प्रस्तर 04 में विहित प्रावधानानुसार यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

भवदीय,

(अम्बरीष कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

पृ०सं० एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बे०) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

जी0आर0डी0 एकेडमी

नरोत्तमगढ़ पो0 बिहारीगढ़ सहारनपुर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/ 10247-49

/ 2021-22 दिनांक 06/12/21


विषय:-मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/24953-55/2020-21 दिनांक 17.02.2021 द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन आपकी संस्था को कक्षा 01 से कक्षा 05 तक अंग्रेजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता आगामी एक वर्ष के लिए प्रदान की गई है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अग्रेत्तर आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात से उक्त विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तों के उलंघन करने सम्बन्धी शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसट-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11.01.2019 के प्रस्तर 04 में विहित प्रावधानानुसार यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

भवदीय,

 06.12.21

(अम्बरीष कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर

पुं0सं0 एवं दिनांक वही।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,(बे0) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर